

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज

2- कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

दिनांक 24 जून 2020

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

विषय- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) के लिये पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन.सी.टी.ई. नियमावली, 2002 के प्रस्तर 6(3)के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-ए-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04.06.2020 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई।

2- समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या-363/सत्तर-7-2019-बी०एड०(16)/2011 दिनांक 23 अगस्त, 2019 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रु 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष के लिये रु 30,000/- पाठ्यक्रम शुल्क को पुनर्निर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा पूर्व की भांति बी०एड० प्रथम वर्ष हेतु शुल्क हेतु रु 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष के लिये रु 30,000/- निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई-मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
7. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

भवदीय,

ह/-
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
विशेष सचिव